



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - मू-प्रबंध)

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

2552233
479-136/1149

रायपुर दिनांक 16/05/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

भारत सरकार - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय - वेस्ट सेंट्रल रीजन

ईस्टर्न विंग - भूतल

न्यू सेक्रेटेरियेट भवन - VCA स्टेडियम के सामने

सिविल लाईन, नागपुर - 440001

- Diversion of 17.245 ha. of forest land for Non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Balco 400 kv transmission line from Balco 1200 MW Power Plant to PGCIL 400 / 765 KV Dharamjaigarh Pooling station at Bhaisma in Korba District in the State of Chhattisgarh - Reg.

- पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Trans/9820/2015

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक/FP-II/CH-26/2015-NGP/204 दिनांक 17.03.2016
2. वन मंडलाधिकारी, कोरबा वन मंडल का पत्र क्रमांक/ तक अधि / 731 दिनांक 22.04.2016
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छ.ग का पत्र क्र/ 14/उत्पा.1/646/849 दिनांक 05.05.2016
4. परियोजना प्रमुख, बाल्को का पत्र क्रमांक/ BALCO/ 1200/ STAT/Transmission/05-2016/02 दिनांक 11.05.2016

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के संदर्भित पत्र -1 द्वारा कोरबा जिले के कोरबा वन मंडल अंतर्गत 400 KV Transmission line from Balco 1200MW Power plant to PGCIL 400/765 KV Dharamjaygarh Pooling Station at Bhaismi के लिए 17.245 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

संदर्भित पत्र -2 के माध्यम से प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन वन मंडलाधिकारी, कोरबा द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है जो निम्नानुसार है:-

Sl No.	CONDITION	COMPLIANCE
(i)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	वन भूमि ही रहेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। (Annexure-1)
(ii)	Compensatory afforestation over degraded forest land, twice in extent to the forest land being diverted, shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the User Agency.	आवेदक संस्थान के द्वारा दुगुने नारंगी वन क्षेत्र की अद्यतन सिंचित वृक्षारोपण की वर्ष 2016-17 की दर रु 5,45,657/- प्रति हे. हिसाब से कुल राशि रु 1,88,19,710/- (रु एक करोड़ अठासी लाख उनीस हजार सात सौ दस) जिसे नोडल अधिकारी कोरबा के मांग पत्र के आधार पर Ad-hoc CAMP Account number 15064 TRANS98202015440 of Corporation Bank, New Delhi(IFSC Code CORP0000633) esa RTGS payment mode के माध्यम से दिनांक 15.04.2016 जमा कर दी गई है (Annexure-2) एवं उपरोक्त

प्रस्तावित दुग्धने विगडे क्षेत्र 18.00 हे. क्षेत्र
वैकल्पिक वृक्षारोपण किया गया एवं 17.00 हे.
नारगी क्षेत्र का अधिसूचना प्रस्ताव क्रमांक
553 दिनांक 08.04.2013 के द्वारा प्रेषित
किया गया है (Annexure-2 A)।

(iii)	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (Annexure-3)
(iv)	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No.5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard;	आवेदक संस्थान के द्वारा प्रत्याशा मूल्य के तहत 1,38,47,735/- (एक करोड़ अठतीस सैतालीस हजार सात सौ पैतीस रुपये) जमा कराई गई है। उपरोक्त राशि को Ad-hoc CAMP Account number 15064 TRANS98202015440 of Corporation Bank (IFSC Code CORP0000633) esa RTGS payment mode के माध्यम से दिनांक 15.04.2016 जमा कर दी गई है।
(v)	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India. ;	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। (Annexure-4)
(vi)	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the Saving Bank Account pertaining to the state concerned;	आवेदक संस्थान द्वारा प्रत्याशा मूल्य (छूट) की राशि 1,38,47,735/-, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 1,88,19,709/- एवं औषधी रोपण की राशि 26,87,361/- Ad-hoc CAMPA Account number 15064TRANS98202015440 of Corporation Bank, New Delhi (IFSC Code CORP0000633) esa RTGS payment mode के माध्यम से दिनांक 15.04.2016 जमा कर दी गई है।
(vii)	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
(viii)	No labour camp shall be established on the forest land;	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। (Annexure-5)
(ix)	The User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। (Annexure-6)

(x)	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar.	आवेदक संस्थान के द्वारा सीमांकन, चिन्हांकन एवं सीमा लाईन में मुनारा निर्माण करने हेतु व्यय की राशि 617738/- रुपये जमा कर दी गई है। जिसे पी.डी. खाते में जमा करने की कार्यवाही की जा रही है। (Annexure-7)
(xi)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project.	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। (Annexure-8)
(xii)	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area;	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। (Annexure-9)
(xiii)	Width of right of way for the transmission line shall be limited to 46 m;	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। (Annexure-10)
(xiv)	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। (Annexure-11)
(xv)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central government;	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। (Annexure-13)
(xvi)	The User agency shall install circuit breakers at suitable places besides maintain necessary ground clearance to prevent electrocution of wild animals;	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। (Annexure-14)
(xvii)	Only 338 trees are to be felled as per the proposal. Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। (Annexure-15)
(xviii)	To minimize the felling for construction of transmission line, user agency shall comply with the following guidelines:	
(a)	Below each conductor, width clearance of 3 mts. would be permitted for carrying the tension stringing equipment. The trees on such strips may be felled but after stringing work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up.	आवेदक संस्थान के द्वारा 3 मी. कण्डक्टर के नीचे आने वाले वृक्षों का चिन्हांकन एवं गणना कर विदोहन योजना तैयार कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) छ.ग. रायपुर को पत्र क्र. 704 दिनांक 21.4.2016 के माध्यम से अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई है। संस्थान द्वारा विदोहन की राशि 1,47,511/- रुपये जमा कर दी गई है। जिसे पी. डी. खाते में जमा करने की कार्यवाही की जा रही है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। (Annexure-16)
(b)	One outer strip may be left clear to permit maintenance of the transmission line;	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। (Annexure-16)
(c)	In the remaining width the right of way felling/pollarding/pruning of trees will be	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। (Annexure-16)

done with the permission of the local forest officer whenever necessary to maintain the electrical clearance, trees shall be allowed to be felled or lopped to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining the minimum 5.5 meter clearance between conductors and trees. The sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above;

(d)	User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line, and provide funds for execution of the said scheme to the State Forest Department;	आवेदक संस्थान के द्वारा बौने प्रजाति के रोपण की परियोजना (Strip + Gap Plantation) तैयार कर परियोजना राशि रु 26.87 लाख जिसे Ad-hoc CAMPA Account 15064TRANS98202015440 of Corporation New Delhi (IFSC Code CORP0000612) RTGS payment mode के माध्यम से दिनांक 2016 जमा कर दी गई है। (Annexure-17)
(e)	And In case a portion of the transmission lines to be constructed is located in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees shall not be cut;	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न (Annexure-18)
(xix)	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project;	avifauna परियोजना तैयार करने हेतु बिलासपुर युनिवर्सिटी के द्वारा इकरारनामा करने हेतु प्रगति में है। इस विषय हेतु बिलासपुर युनिवर्सिटी से प्राप्त आफर लेटर संलग्न है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। (Annexure-19)
(xx)	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न (Annexure-20)
(xxi)	The User agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above conditions to the State Government and to the concerned Regional Office of the Ministry regularly; and	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न (Annexure-21)
(xxii)	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न (Annexure-22)

अतः प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अंतर्गत अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान किया

जाने का अनुरोध है।
संलग्न: उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.स. (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
(मुदित कुमार सिंह)
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 16/05/2016

पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-126/1150
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11-306/2014-FC दिनांक 08.08.2014 कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/ खनिज/ 331-29 / 2169 दिनांक 17.09.2014 में उल्लेख अनुसार प्रथम चरण स्वीकृति उपरांत वृक्ष विदोहन कार्य प्रारंभ करने के निर्देश जारी किये गये हैं।
- प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के पत्र क्रमांक/ 14/ उत्पा.1/ 646/ 849 दिनांक 05.05.2016 के अनुक्रम में 338 वृक्षों के विदोहन एवं परिवहन कार्य के लिए राशि वनमंडलाधिकारी, कोरबा वन मंडल को रु. 1,47,511/- पी. डी खाते से आहरण की अनुमति दी जाती है तथा कार्य प्रारंभ करें।
- सीमांकन व मुनारे निर्माण हेतु वन मंडलाधिकारी, कोरबा वन मंडल को रुपये 6,17,738/- पी. डी. खाते से आहरण की अनुमति दी जाती है तथा कार्य प्रारंभ करें। पक्के मुनारों का निर्माण नारंगी वन खण्डों में नियत माप अनुसार ही बनावें।
- पी. डी खाते का मासिक लेखा परीक्षण मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त की व्यक्तिगत जवाबदारी होगी। वन मंडलाधिकारी, कोरबा वन मंडल ने पत्र क्रमांक/ तक अधि/ 731 दिनांक 22.04.2016 द्वारा प्रेषित पालन प्रतिवेदन अभी तक वृत्त कार्यालय, बिलासपुर में क्यों लंबित है? यह मान कर कि मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त की सहमति है - प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जा रही है।
3. वन मंडलाधिकारी, कोरबा वन मंडल, कोरबा, छत्तीसगढ़।
- कंडिका-xviii (d) अनुसार औषधीय रोपण हेतु कैम्पा के आगामी वर्ष के ए.पी.ओ में सम्मिलित करें।
- कंडिका-xix के अनुपालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम वर्ष के लिए स्वीकृति 5,72,330/- का 80 प्रतिशत अग्रिम राशि के रूप में 4,57,865/- जमा करा दिया गया है। सर्वे एवं कार्य की अनुमति प्रदाय करें तथा अनुश्रवण करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, बालको नगर, कोरबा, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स. (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
0/c छत्तीसगढ़